

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 770]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2015/चैत्र 23, 1937

No. 770]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2015/CHAITRA 23, 1937

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2015

का.आ.1001 (अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 (2014 का 40) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 13 अप्रैल, 2015 को उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत करती है।

[फा.सं.के-11016/17/2015-यूएस-II] क्स्मजीत सिद्धू, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2015

S.O.1001(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the National Judicial Appointments Commission Act, 2014 (40 of 2014), the Central Government hereby appoints the 13th day of April, 2015, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No- K-11016/17/2015-US(II)] KUSUMJIT SIDHU, Secy.

1678 GI/2015